

तारीख हुकम	हुकम कार्यवाही मय इनिशियल्स जज राजस्व आवेदन संख्या 52/2021 अनवान उकाराम बनाम समेलाराम	नम्बर व तारीखअहकाम ज इस हुकम की तामील में जारी हुए
------------	--	--

25-8-21

**आदेश**

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी के वकील उपस्थित। अप्रार्थीगण की तलबी रजिस्टर्ड डाक से की गई है। तलबी पर्याप्त है। आज बावजूद सूचना अनुपस्थित होने से उनके विरुद्ध इकतरफा कार्रवाई अमल में लाई गई। बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी का कथन है कि प्रार्थी मौजा हनुमान नगर पटवार क्षेत्र कवास तहसील व जिला बाडमेर के खसरा संख्या 653/131 रकबा 13.08 बीघा, खसरा संख्या 660/148 रकबा 19.09 बीघा तथा प्रार्थी मौजा आदर्श ढूँढा पटवार क्षेत्र कवास तहसील व जिला बाडमेर खसरा संख्या 932/60 रकबा 32.15 बीघा भूमि का अभिलिखित खातेदार है तथा अपनी खातेदारी भूमि की पक्की नेखमबन्दी करवाना चाहते हैं, इस हेतु निर्धारित शुल्क जमा करवाने को तैयार है।

वकील प्रार्थी को सुनने के पश्चात पत्रावली का भी अवलोकन किया गया। प्रकट तथ्यों एवं पत्रावली के अवलोकन से ज्ञात होता है कि प्रार्थी प्रार्थना पत्र में अंकित भूमि का अभिलिखित खातेदार है तथा अपनी खातेदारी भूमि की पक्की नेखमबन्दी करवाना चाहता है जो उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया मौजा हनुमान नगर पटवार क्षेत्र कवास तहसील व जिला बाडमेर के खसरा संख्या 653/131 रकबा 13.08 बीघा, खसरा संख्या 660/148 रकबा 19.09 बीघा तथा प्रार्थी मौजा आदर्श ढूँढा पटवार क्षेत्र कवास तहसील व जिला बाडमेर खसरा संख्या 932/60 रकबा 32.15 बीघा भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित कर नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाडमेर को कमीश्नर नियुक्त किया जाकर निर्देश दिये जाते हैं कि उक्त कार्रवाई प्रार्थी व अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस/पत्र सूचित करते हुए एक निश्चित तारीख मुकर्रर कर (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थरगढी नही करने बाबत् राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 04.08.1992 के मद्देनजर) की जावे। कमीश्नर फीस 1500/- अक्षरे एक हजार पांच सौ रुपये मात्र निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थी द्वारा मौके पर अदा की जायेगी। इस आशय का आदेश तहसीलदार बाडमेर के नाम जारी हो। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर सामिल मिसल हो। पत्रावली फैसल-सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

उप खण्ड अधिकारी

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (एस.डी.ओ) बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी-श्री रोहित चौहान, आर.ए.एस

दिनांक - 2.9.21

क्रमांक रीडर/2021/

प्रार्थी

बनाम

3988

अप्रार्थीगण

1 उकाराम पुत्र नवाराम जाति  
मेघवाल निवासी आदर्श ढूंडा,  
तहसील व जिला बाड़मेर।

1 समेलाराम पुत्र लिखमाराम वगौराह जाति मेघवाल  
निवासी हनुमान नगर, ढूंडा कवास तहसील व  
जिला बाड़मेर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128,111 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, करने नेखमबन्दी बाबत  
राजस्व आवेदन संख्या :- 52/2021

दिनांक-

## आदेश

उपर्युक्त, प्रकरण मौजा हनुमान नगर पटवार क्षेत्र कवास तहसील व जिला बाड़मेर के खसरा संख्या 653/131 रकबा 13.08 बीघा, खसरा संख्या 660/148 रकबा 19.09 बीघा तथा प्रार्थी मौजा आदर्श ढूंडा पटवार क्षेत्र कवास तहसील व जिला बाड़मेर खसरा संख्या 932/60 रकबा 32.15 बीघा भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाड़मेर को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। उक्त नेखमबन्दी कार्रवाई करने से पूर्व प्रार्थी व अप्रार्थीगण को नोटिस/पत्र के जरिये सूचित करते हुए एक तिथि निश्चित (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थरगढी नही करने बाबत राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 04.08.1992 के मद्देनजर) कर पक्षकारान की उपस्थिति में नेखमबन्दी की जावे। कमीश्नर शुल्क रुपये 1500/- अक्षरे एक हजार पांच सौ रुपये मात्र निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थी द्वारा मौके पर अदा किया जावेगा।

(रोहित चौहान)  
उपखण्ड अधिकारी,  
बाड़मेर

क्रमांक :- रीडर/2021/ 3988- 3992  
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :-

दिनांक- 2.9.21

1. तहसीलदार बाड़मेर पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथि अवश्य अंकित करें।
2. पटवारी कवास तहसील बाड़मेर को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथि को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. उकाराम पुत्र नवाराम जाति मेघवाल निवासी आदर्श ढूंडा, तहसील व जिला बाड़मेर।
4. विप्रार्थी समेलाराम पुत्र लिखमाराम वगौराह जाति मेघवाल निवासी हनुमान नगर, ढूंडा कवास तहसील व जिला बाड़मेर।

उपखण्ड अधिकारी,  
बाड़मेर